# पी. एम. मोदी की अजमेर में जनसभा को लेकर राठौड़ ने बीकानेर में ली बैठक

**बीकानेर,** (कासं)। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में 28 फरवरी को नरेन्द्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर की ऐतिहासिक धरा पर आयोजित होने वाली विशाल जनसभा एवं लगभग 25,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व आज देश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए आयाम दे रहा है। अजमेर की यह जनसभा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करने वाला जनआंदोलन सिद्ध होगी।

बीकानेर में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़ ने संगठनात्मक बैठक में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा को लेकर की चर्चा।

- अजमेर की ऐतिहासिक धरा पर होने वाली विशाल जनसभा एवं लगभग 25,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया

भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ मैदान में उतरे कि यह जनसभा जनसमर्थन का नया इतिहास रचे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान के विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने प्रेरक शब्दों में कहा कि संगठन की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री जी का अजमेर आगमन प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। हम सभी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यह हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि सौभाग्य भी है कि हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनें। देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आव्हान किया और कहा कि गांव-गांव से कार्यकर्ता व आमजन इस जनसभा में पहुंचकर इसे ऐतिहासिक बनायेंगे।

मीडिया संयोजक कमल गहलोत ने बताया कि बैठक में जिला महामंत्री कौशल शर्मा, श्याम सिंह हाड़ला, राजेंद्र पंवार, तोलाराम कूकना, कुंभाराम सिद्ध, नारायण चौपड़ा, सुरेन्द्र सिंह शेखावत, रामेश्वर पारीक, प्रधान राजकुमार कस्वा, सोशल मीडिया संभाग संयोजक कोजुराम सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत, जसवंत दहिया, सरिता नाहटा, जिला मंत्री सुनीता हटीला, तरूण स्वामी, धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी, विनोद करोल, मीडिया सह संयोजक अशोक मारू, आईटी संयोजक सुरेन्द्र स्वामी, कार्यालय सह मंत्री रघुवीर प्रजापत, रामकुमार व्यास, प्रवक्ता जोगेंद्र शर्मा, महेन्द्र ढाका, मोर्चा अध्यक्ष राजाराम सिंगड़, चंद्रमोहन जोशी, भंवरलाल जांगिड़, मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेघवाल, मुकेश सैनी, धर्मपाल डूडी, विशाल गोलछा, दिनेश चौहान, कपिल शर्मा, रामदयाल पंचारिया, भंवर साहू सहित पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

**प्रधानमंत्री को पत्र भेजा :** कर्मचारी नेता राजकुमार जीनगर ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा है। जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा सिर्फ राजस्थान में निवास करने वाले लोगों द्वारा ही नहीं बोली जाती, अपितु प्रदेश से बाहर अन्य देश के अन्य राज्यों व विदेशों में भी निवास करने वालों द्वारा भी बोली जाती है। राजस्थानी को मान्यता दी जाए।

# दहेज में केवल एक रूपया लेकर की शादी

**अरजनसर,** (कासं)। संदीप ओझा ने फुलरिया दूज के शुभ अवसर पर सादगीपूर्ण विवाह कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी बारात बिना घोड़ी और डीजे के निकाली और दहेज में मात्र एक रूपया स्वीकार किया। संदीप ओझा की बारात अरजनसर से राजेरा गांव पहुंची। इस बारात में न घोड़ी थी, न डीजे का शोर-शराबा और न ही कोई अन्य दिखावा। पूरी बारात सादगी और पारंपरिक तरीके से गांव की गलियों से गुजरी। दूल्हे संदीप की इच्छा गांव में विवाह करने की थी। जबकि दुल्हन ममता के पिता का व्यापार और निवास बीकानेर में भी है। दहेज प्रथा के खिलाफ बढ़ती जागरूकता के बीच, दूल्हे पक्ष ने दहेज में मात्र एक रूपया, एक नारियल, शीशम की लकड़ी की चारपाई और एक टोकणी स्वीकार की। इस अवसर पर संदीप के दादा सोहनलाल ओझा ने कहा कि दुल्हन ही सबसे बड़ा दहेज है और संस्कार ही घर परिवार की सर्वोच्च पूंजी है। उनके इस कथन की समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने सराहना की।

## डोटासरा 28 को बीकानेर आयेंगे

**बीकानेर,**(कासं)। आगामी पंचायती राज चुनावों के संबंध में 28 फरवरी को नोखा रोड़, भीनासर में विशाल जनसभा का आयोजन किया जायेगा। जिला कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया कि पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के उद्देश्य से हो रही इस जनसभा में बड़ी संख्या में पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं, स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत हो सकें। इस जनसभा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सम्बोधित करेंगे। जिला महासचिव (संगठन) प्रहलाद सिंह मार्शल ने बताया कि इस जनसभा में जिले के लोकसभा प्रत्याशी, विधायक/विधायक प्रत्याशी, जिले के पूर्व जिला व उप जिला प्रमुखगण, प्रधान व उप प्रधानगण, जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण, वरिष्ठ नेतागण, जिले में निवास करने वाले प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारीगण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, मण्डल अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, इंटक आदि अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण मय कार्यकारिणी, पदाधिकारीगण को सादर आमंत्रित किया गया है।


**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 64 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0''गुणा 50'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री अमनदीप सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह व श्री सुखजिन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अमनदीप सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह व श्री सुखजिन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 64 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0''गुणा 50'-0''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20625683 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 54/44 के किला नं. 17 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0''गुणा 50'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शोभा सिंह भाटिया निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शोभा सिंह भाटिया निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 54/44 के किला नं. 17 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0''गुणा 50'-0''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20430144 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 62 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0''गुणा 62'-6''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राकेश दामडी पुत्र श्री जनक राज दामडी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राकेश दामडी पुत्र श्री जनक राज दामडी निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 62 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0''गुणा 62'-6''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20228459 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 19 में भूखण्ड संख्या 202 माप 15'-0''गुणा 50'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री हुकम सिंह चौहान निवासी मकान नम्बर 49, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री हुकम सिंह चौहान निवासी मकान नम्बर 49, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 51 के किला नं. 19 में भूखण्ड संख्या 202 माप 15'-0''गुणा 50'-0''फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20623723 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 16 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0''गुणा 52'-6''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 16 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0''गुणा 52'-6''फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20610618 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 18-2-2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 21 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0''गुणा 50'-0''फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 20443113 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19.02.2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 65'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती रानी पत्नी श्री कृष्णलाल निवासी मकान नं. 44-बी, प्रेम नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती रानी पत्नी श्री कृष्णलाल निवासी मकान नं. 44-बी, प्रेम नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 65'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref. No. 20625843 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/5156 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :20-2-26

श्रीमती मंजू पत्नी श्री शिव कुमार निवासी प्लॉट नं. डी-216 फर्स्ट फ्लोर प्रशांत विहार नजदीक गुरुद्वारा, रोहिनी सैक्टर 14 नार्थ वेस्ट दिल्ली द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.10.2001 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं।

| जिले सहित नगर का नाम | दस्तावेज का विवरण | भूमि का विवरण | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | सनद दिनांक 01.01.1964 को श्री माना राम पुत्र श्री खेतराम के नाम से तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जारी की हुई है। | चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 16 में भूखण्ड माप 623.1/3 वर्गगज, श्रीगंगानगर | 13.9 इन्टू 80 फीट |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

क्रमांक : नियमन/2026/5152 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :20-2-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नेहा आहूजा पत्नी श्री विकास कुमार निवासी हाल म.न. 330 के, वार्ड नं. 8, नजदीक राम मंदिर, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

| न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण | | आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|---|
| भूमि का विवरण | मूल भूखण्डधारी | दस्तावेज का विवरण |
| चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 24 में माप 30 इन्टू 50 फीट भूखण्ड संख्या एस.के.-11, सिंधि-सिंधि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर | उक्त भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 5468 दिनांक 07.03.2008 को श्री राकेश नागपाल पुत्र श्री बुलचन्द के नाम से जारी है। जोकि नामान्तरण उपरांत श्री तारावद बिश्नोई सुथार पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई सुथार के नाम से दर्ज है। | श्रीमती नेहा आहूजा द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.11.2020 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है। |

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती नेहा आहूजा पत्नी श्री विकास कुमार निवासी हाल म.न. 330 के, वार्ड नं. 8, नजदीक राम मंदिर, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/श्री तीज होल एटे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पूरक दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उत्तर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमजनता/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उत्तर स्वीकार नहीं होगा। आदेश संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/1365 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर


# हाईटेंशन लाइनें बन रही प्रवासी पक्षियों के मौत की वजह

**बीकानेर,** (कासं)। बीकानेर में जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र और आस-पास से गुजर रही बिजली की हाईटेंशन लाइनें प्रवासी पक्षियों के मौत की वजह बन रही है। पिछले एक महीने में एक दर्जन से अधिक स्टेपी ईगल, इजिप्शियन वल्चर और यूरोशियन ग्रेफॉन प्रजाति के पक्षियों की मौत हो चुकी है।

जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध एवं शिकारी पक्षी आवास स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र के आसपास खुले विद्युत पोलों और ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने व करंट लगने के कारण स्टेपी ईगल और इजिप्शियन वल्चर यूरेशियन ग्रेफॉन सहित कई प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी हैं। विशेषज्ञों और संरक्षण कार्यकर्ताओं ने इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के इस स्थल के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति बताया।

जोडबीड़ में इन दिनों मध्य एशिया, रूस, मंगोलिया और यूरोप से आये हजारों प्रवासी पक्षियों का बसेरा है। बड़े आकार और लम्बे पंख फैलाव वाले शिकारी पक्षी अक्सर भोजन स्थल के आसपास लगे विद्युत पोलों पर बैठते हैं। इसी दौरान खुले तारों के संपर्क में आने से उन्हें घातक करंट लग जाता है। पिछले एक माह में ही 12 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु विद्युत पोलों से टकराने अथवा करंट लगने के कारण हो चुकी है। पर्यावरणविदों के अनुसार क्षेत्र के आसपास तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और नई आवासीय कॉलोनियों के विकास के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। विद्युत अवसंरचना को पक्षी-अनुकूल बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है।

- करंट लगने से एक महीने में 12 से अधिक स्टेपी ईगल, इजिप्शियन वल्चर और यूरेशियन ग्रेफॉन की मौत
- जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध एवं शिकारी पक्षी आवास स्थल माना जाता है

इजिप्शियन वल्चर पहले ही संकटग्रस्त श्रेणी में है और स्टेपी ईगल की वैश्विक आबादी भी लगातार घट रही है। नई विकसित कॉलोनियों में बिजली लाइनों को अंडर ग्राउंड करने तथा मौजूदा ओवरहैड लाइनों पर बर्ड डाइवर्टर, इंसुलेटेड क्रॉस-आर्म्स और अन्य बर्ड सेफ्टी उपकरण लगाने चाहिए। ये उपाय अपेक्षाकृत कम लागत में पक्षियों की जान बचाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर है। इसके आसपास आबादी एरिया बसने से पक्षियों व वन्य जीवों के आवास पर संकट खड़ा हो जायेगा। सरकार को इसे गंभीरता से लेकर विकल्प तलाश करना होगा। सबसे पहले प्रवासी पक्षियों को बचाने का काम करें।

## गंगानगर में भाजपा नेता के घर चोरी

**श्रीगंगानगर,** (कासं)। श्रीगंगानगर में भाजपा नेता के घर चोरी हो गई। भाजपा नेता बेटे की शादी में व्यस्त थे। पूरा परिवार रिसोर्ट में शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था। पीछे से सूने मकान में चोर घुस गए। चोर लाखों के गहने और कैश ले गए।

मकान में एक रॉड पड़ी मिली। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश घर में घूमते दिखाई दिए। वारदात शहर के कोतवाली थाना इलाके की विनोबा बस्ती में नगर परिषद के पूर्व उप सभापति महेश गुप्ता के घर हुई।

भाजपा नेता महेश गुप्ता ने बताया कि वे पूरे परिवार के साथ बेटे की शादी के कार्यक्रम में रजवाड़ा पैलेस में व्यस्त थे। सुबह करीब 8:30 बजे पड़ौसी ने मेरे घर के टूटे ताले देखकर मुझे सूचना दी। मैं तुरंत घर पहुंचा। चोर घर की अलमारी से मेरे, मेरी पत्नी और बेटी के 20 तोला सोने के गहने और डेढ़ लाख कैश ले गए। चोरी की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। महेश गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश युवक लोहे की रॉड लेकर घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं।

# ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी, एक की मौत

**बीकानेर,** (कासं)। रिडमलसर चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी। वह करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे बनी दुकान के अंदर तक ले गया। भीषण हादसे में पिकअप ड्राइवर के पास बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

हादसा जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के रिडमलसर चौराहे पर गुरूवार की दोपहर करीब 2:40 बजे हुआ। शुक्रवार की शाम को घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना दिखाई दे रही है। थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि हादसे में पिकअप में ड्राइवर के पास बैठे लक्ष्मणराम को गंभीर चोट आई थी। लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल पहुंचाया जहां ट्रोमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

थानाधिकारी के अनुसार दोनों वाहन अलग- अलग दिशाओं से आ रहे थे। दोपहर में करीब 2:40 बजे पिकअप ने बत्ती क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन तब ही दूसरी तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रेलर उसे करीब 30 मीटर तक डिवाइडर के ऊपर से घसीटते हुए सड़क किनारे बनी एक दुकान तक ले गया। टक्कर में पिकअप के ड्राइवर के दूसरी तरफ वाली साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वहां बैठा लक्ष्मणराम गंभीर रूप से घायल हो गया।

- पिकअप को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गया
- हादसा जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के रिडमलसर चौराहे पर गुरूवार की दोपहर करीब 2:40 बजे हुआ। शुक्रवार की शाम को घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है

हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप में से लोगों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान लक्ष्मणराम की मौत हो गई। मामले की जांच एएसआई जयप्रकाश को सौंपी गई है। हादसे में एक बाइक सवार भी बाल- बाल बचा। प्रत्यक्षदर्शी रमेश का कहना है कि रिडमलसर चौराहे पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर या अवरोधक नहीं है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूर्व में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

# 100 साल बाद साफ हुआ नाला

**बीकानेर,** (कासं)। हर बारिश में शहर की सड़कें दरिया क्यों बनती हैं। इसकी वजह शहर का ड्रैनेज सिस्टम तो खराब है ही मगर उसमें सबसे बड़ी भूमिका जाम नालों की है। ऊपर से नालों को पाटकर इस समस्या को और बढ़ा दिया। खुले नाले आसानी से साफ होते थे मगर अब बंद नालों को तोड़कर साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए ही शहर हर बारिश में डूबता है।

दो दिन पहले ही निगम ने पेट्रोल पंप के पास एक नाला साफ कराया। कहते हैं 100 साल बाद उस नाले की इतनी गहराई लोगों ने देखी। क्योंकि उसकी सफाई ऊपरी तौर पर होती रही, तला कभी देखा ही नहीं। पहली बार इस नाले का तला देखा गया। ये 90 प्रतिशत जाम था और इसीलिए निगम के सामने का पानी 8 से 10 घंटे बाद रिसकर निकलता था। पिछले साल नगर निगम ने करीब 6 करोड़ से नाले साफ कराया था। मगर इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी सफाई का असर इसलिए नहीं हुआ। क्योंकि नाले ठीक वैसे ही साफ हुए जैसे परंपरागत तरीके से होते आये हैं। पटे नालों को साफ करने का एक ही तरीका बचा है कि 50 या 100 मीटर पर जो चैम्बर बना है उसे हटाकर वहां का कचरा निकाल दिया और सफाई मान ली जाती है। जबकि पटे हुए नाले के नीचे कितने फीट सिल्ट जमी है और जब तक वो सिल्ट नहीं निकलेगी तब तक चैम्बर की भी सफाई बेअसर है।

- पिछले साल नगर निगम ने करीब 6 करोड़ से नाले साफ कराया था

## बैंक कर्मियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

**नोखा,** (कासं)। नोखा थाने में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत शुक्रवार को बीकानेर रोड निवासी अशोक कुमार बिश्नोई ने दर्ज कराई है। जिसमें आरोप है कि उनकी पत्नी के बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर लोन लिया गया और लेनदेन किए।

अशोक कुमार बिश्नोई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी के नाम से एक बैंक खाता है। आरोप है कि 1 जनवरी 2024 से 19 फर